...यालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी
अनूप सिंह (आरटीएस)

मि.न. 90/2020 दिनांक6.03.2020

सरकार बनाम हंसराज

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल उपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का देवता ने एक रिर्पोट इस आशय की पेश की है कि सम्वत 2076 में वाके ग्राम के देवता तहसील कोटपूतली के ख0 न0 846/0.09 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता में से 0.0020 है0 भूमि पर हंसराज पुत्र सगरा राम जाति अहीर निवासी ढाणी ओहदा तन देवता ने कब्जा कर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर . गैर सायल को विधिवत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गया । सूचना बाद गैर सायल की तरफ से अधिवक्ता उपस्थित आये तथा जबाब पेश किया जो संलग्न पत्रावली किया गया है गैर सायल ने अपने जबाब में कथन किया कि पटवारी हल्का ने बिना मौके पर जांच किये ही श्रीमान के समक्ष गलत रिपोर्ट पेश की है गैर सायल का खसरा नंबर 846 पर कोई अतिक्रमण नहीं है। गैर सायल द्वारा प्रस्तुत जबाब के संदर्भ में पुनः भू– अभिलेख निरीक्षक द्वारा जांच करवाई गई जो संलग्न पत्रावली की गई । भू– अभिलेख निरीक्षक बनेठी ने अपनी जांच रिपोर्ट में बताया की पटवार मण्डल देवता के ग्राम देवता के खसरा नंबर 846 किस्म गैर मुमकीन रास्ता के संदर्भ में पेश की गई 91 एल.आर. एक्ट के संबन्ध मे जांच की गई । पटवारी हल्का द्वारा पेश की गई 91 की रिपोर्ट सही पाई गई। । अतः हमने पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट ,गैरसायलान द्वारा प्रस्तुत जबाब , भू– अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजों पर गौर किया तो विवेचन पर पाया की गैर सायलान द्वारा ग्राम देवता के खसरा नंबर 846 किस्म गैर मुमकीन रास्ता पर अतिक्रमण सिद्व होता है । अतः आतिक्रमि के विरूद्व कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित होता है । अगर अतिक्रमियों के विरूद्व कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढावा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की स्थिति उत्पन्न होगी।

अतः गैरसायल हंसराज पुत्र सगराराम जाति अहीर निवासी ढाणी ओहदा तन देवता तहसील कोटपूतली जिला जयपुर को वाके ग्राम देवता तहसील कोटपूतली के खसरा नंबर 846/0.09 है0 किस्म जमीन गैर मुमकीन रास्ता में 0.0020 है0 भूमि पर अतिक्रमी धोषित किया जाता है

तहसीलदार
कोटपूतली (जय...)

Scanned by CamScanner

तथा गैर सायल द्वारा किये गये कब्जे को हटाया जाकर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप मे लगान राशी 0.06रू. का पचास गुणा 3 रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है भू– अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का को वास्ते ,बेदखली आदेश जारी हों तथा मांग कायमी टी.आर.ए. को करवाई जावे। निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखिल दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक 6.3.2020 को सरे इजलास सुनाया गया ।

Scanned by CamScanner